न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: बंशीधर योगी, R.T.S.
मिसल नं. ::: 45 / 2020

सरकार बनाम अमरसिंह पुत्र अर्जुन, जाति– गुर्जर, निवासी– झेरली

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 07.08.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से उसका पुत्र निहालसिंह उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल अमरसिंह पुत्र अर्जुन, जाति–गुर्जर, निवासी–झेरली ने रोही मौजा झेरली की राजकीय भूमि ख.नं. 37 रकबा 0.18 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.03 है0 पर लकड़ी डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से उसके पुत्र ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया जिसमें रास्ते पर अतिक्रमण करना अस्वीकार किया है। अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 14 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० लै० स० 4 के पृष्ठ सं. 6 पर वर्ष 2020-21 में रूपये 14/– कायम किए
राजस्व लिखाकार

(बंशीधर योगी)
तहसीलदार, सूरजगढ़